उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2–399 / दस–2012
लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

देश के नागरिकों को जन सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, जन प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उसको उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 जून, 2005 से "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" प्रख्यापित कर लागू कर दिया गया है। इसके कियान्वयन हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग1 / 2, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये श्री आर0के0 त्रिपाठी, अनुसचिव को जन सूचना अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार जोशी, संयुक्त सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है। इनका विवरण निम्नवत् है :—

1– नाम	श्री आर0के0 त्रिपाठी (रमेश कुमार त्रिपाठी)
कार्यालय पता	कक्ष संख्या–10, अधिकारी भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
आवासीय पता	ए–81 कूर्मांचल नगर, लखनऊ।
दूरभाष :–	
कार्यालय	2238127
आवास	9454413828
2– नाम	श्री मनोज कुमार जोशी
कार्यालय पता	कक्ष संख्या–71, अधिकारी भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
आवासीय पता	10, गोमती सदन रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ।
दूरभाष :–	
कार्यालय	0522–221-010
आवास	9454413920

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

पृ0सं0–वे0आ0–2–399 (1) / दस–2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को कार्यालय ज्ञाप वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
(8) प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) सम्बन्धित अधिकारी।
(10) कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।